

## नलकूप के निर्भित विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन - पत्र

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

तुलसीपुर / बलरामपुर

1- प्रार्थी का नाम **फैसल खान उब सलमांग उल्ला खाँ**

2- बिजली की शक्ति व मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है । **3 किलोवाट**

3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिचाई की जायेगा।  
(अमीन का पूरा विवरण एवं खसरा खतौनी की कापी प्रार्थनापत्र के साथ  
में सलग्न करेगा । और अनकी सख्त्या स्थिति आदि का पूरा विवरण )

4- क्या उस क्षेत्र की सिचाई किसी दूसरे साधन, पक्के कुएं आदि से की  
जा सकती है ? **नहीं**

5- अब तक उस क्षेत्र को किन साधनों से की जाती थी और आगे काम  
क्या नहीं किया जा सकता ?

6- क्या यह क्षेत्र अशतः या पूर्णतः किसी राजकीय नलकूप या नहर द्वारा  
सींचे जाने वाले क्षेत्र (कमाण्ड ऐरिया) के अन्तर्गत जाता है ।

7- क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गयी है और पम्प तथा मीटर  
लगा दिये गये है ?

8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच  
की दूरी ।

9- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खाम्हों की यदि कोई  
दूरी हो ।

10- पाइप का व्यास , (चलती स्ट्रेनर) की लम्बाई, बोरिंग (खुदाई) की  
गहराई, सोतें की सतह पहले पहल पानी फटने की सतह की गहराई  
और पानी निकलने की परिणाम प्रति धण्टा गैलनों में ।

11- प्रार्थी बोरिंग की सफलता का प्रमाण पत्र इसी फार्म पर खण्ड विकास  
अधिकारी के कराकर देगा ।

**नहीं**  
**बोरिंग दो-चुक्की हैं**

**उक्तिमीदूर**  
**12 मीटर**

**प्रार्थी के हस्ताक्षर**

- नोट - (1) अग्रिम धनराशि 125/- - अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर के कार्यालय में जमा होगा। समय  
9 बजे प्रातः से 12 बजे तक शनिवार को 8 बजे से 10 बजे तक ।
- (2) आवेदन पत्र के दोनों प्रतिलिपियों पर रसीद सख्त्या तथा दिनांक पंजीकृत कराने के पश्चात 10हार्स पावर तक के  
लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड के कार्यालय में एवं 10 हार्स पावर से अधिक 50हार्स पावर तक  
के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग में देवें ।
- (3) प्रार्थी कृपया अपने हस्ताक्षर के नीचे गांव अथवा तहसील तथा डाकघर का पता दें जिस पर उनको पत्र प्राप्त हो  
सके । अधूरा पता देने पर यदि पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय पर न होगी ।

नियम :- प्रत्येक निजी नलकूप के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें हैं -

- (1) प्रत्येक निजी नलकूप के लिए 60मी० प्रति हार्सपावर तथा अधिकतम दूरी 300 मी० तक की छूट दी जायेगी ।
- (2) प्रत्येक निजी नलकूप के विद्युतीकरण के लिए परिषद..... रु० ही खर्च करेगा ।
- (3) 300 मीटर की दूरी से बड़ी लाठन का खार्च उपभोक्ता को 951-00रु० प्रति मीटर की दर से देय होगा ।
- (4) प्रत्येक निजी नलकूप के लिए अनुबन्ध हेतु रु०100/-रु० का स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा ।
- (5) 10 हार्सपावर तक 135/-रु० का ट्रेजरी चालान बी०एण्ड एल० फार्म के साथ जमा होगा ।
- (6) प्रत्येक निजी नलकूप के विद्युतीकरण के लिए मजदूरों की व्यवस्था उपभोक्ता को स्वयं करना होगा ।
- (7) सीमेन्ट, बालू एवं गिट्टी की व्यवस्था उपभोक्ता को स्वयं करना होगा ।
- (8) प्रार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो ग्राम प्रधान/वी.डी.ओ. से प्राप्ताणि त कराकर प्रार्थनापत्र के साथ देगा ।

